प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकितसाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
(गोरखपुर/महराजगंज/देवरिया/कुशीनगर/बस्ती/संतकबीरनगर/
सिद्धार्थनगर/आजमगढ/मऊ/बलिया/गोण्डा/बलरामपुर/श्रावस्ती/
मुजफ्फरनगर/शामली)
बहराईच को छोडकर)।

संख्याः 1645/प0-1/9ख/सूकर विकास/2012-13(भाग-2)दिनॉक 01-11-2012

विषयः एकीकृत सूकर विकास हेतु सूकर पालक सहकारी समितियों का गठन योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या-1102/9ख/सूकर विकास/2012-13(भाग-2)दिनॉक-01-8-2012 का संदर्भ ग्रहण करें,जिसके द्वारा प्रश्नगत योजना में आवंटित धनराशि को शासनादेश में निहित निर्देशों/आदेशों के अनुसार शीघ्रतिशीध्र व्यय करने के निर्देश दिये गये है तथा इसी संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1148/9ख/सूकर विकास/2012-13(भाग-2) दिनॉक-8-8-2012 एंव शुद्धि-पत्र संख्या-1498/9ख/सूकर विकास/2012-13 (भाग-2) दिनॉक-12-10-2012 द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी किये गये है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर समीक्षा बैठक में निर्देश प्राप्त हुए है कि आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्ण व्यय एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें साथ ही वित्तीय एंव भौतिक प्रगति की सूचना विशेष वाहक के माध्यम से निदेशालय के पशुधन अनुभाग-1 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपको सचेत किया जाता है कि यदि उक्त निर्धारित अवधि में आपके स्तर से आवंटित की गई धनराशि का पूर्ण व्यय नही हो पाता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका मानते हुए आपके विरूद्व कठोरतम कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पडेगा,जिसके जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।कृपया इस पत्र को सर्वोच्च वरीयता/प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप)
निदेशक

संख्याः /प0-1/9ख/सूकर विकास/2012-13(भाग-2)दिनॉक 2012

प्रतिलिपि:समस्त उप निदेशक,पशुपालन विभाग,उत्तर प्रदेश को उपरोक्त के सम्बन्ध में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ जनपदों की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति की सूचना समायान्तर्गत निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करे।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक